न्यायालय विशेष न्यायाधीश(एस सी एसटी एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०-२,फिरोजाबाद।

उपस्थित राकेश कुमार .....एच०जे०एस०

एस०एस०टी० संख्या– १४१/०११

सरकार.....बनाम.....१– बबलू उर्फ आनन्द पुत्र कृष्ण प्रसाद शर्मा
२– विनोद कुमार पुत्र कृष्ण प्रसाद
निवासीगण ग्राम थानूमई थाना जसराना
जिला फिरोजाबाद।
धारा– ३२३,५०४,५०६ भा०द०सं०
व धारा –३(१)१० एस०सी०एस०टी० एक्ट
थाना– जसराना , जिला फिरोजाबाद।
अ०सं०–१९३/९६

निर्णय

पुलिस थना जसराना की पुलिस रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्तगण **बबलू उर्फ आनन्द एवं विनोद कुमार** का विचारण भा०द०सं० की धारा धारा– ३२३,५०४,५०६ भा०द०सं व धारा –३(१)१० एस०सी०एस०टी० एक्ट के अन्तर्गत किया गया।

अभियोजन पक्ष का कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा पुत्तूलाल ने एक टाइपशुदा तहरीर इस आशय की थाने पर प्रस्तुत की कि वह ग्राम थानूमई थाना जसराना जिला फिरोजाबाद का रहने वाला है तथा बाल्मीक जाति का है। उसके मकान के सामने सारकारी हैण्ड पम्प लगा हुआ है। आज दिनांक २६–८–९६ को समय करीब सुबह १० बजे पानी भरने हेतु हैण्डपम्प पर गया था , उसी समय बबलू व विनोद कुमार पुत्रगण किशन प्रसाद निवासी ग्राम थानूमई जाति ब्राहम्मदण अपनी भैंस को पानी पिलाने लाये थे । उसने कहा कि पंडित जी पहले पानी पीने के लिये भर लेने दो , उसके बाद पानी भैंस को पिलाना, इतने पर दोनों लोग बोले कि साले भंगिया उसके ज्यादा दिमाग खराब हो गये हैं और गाली गलौज करते हुये प्रार्थी को बेलचा जो लोहे का था, से मारा पीटा जिससे काफी चोटें आयी हैं। उसकी जगह खड़े प्रेमबाबू पुत्र श्री ग्या प्रसाद व विजय कुमार पुत्र नत्थू सिंह ने बचाया वरना जान से मार सकते थे।

वादी की उक्त टाइपशुदा तहरीर के आधार पर अभियोग अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध सं०१९३/९६ के अन्तर्गत उक्त अपराधों के अन्तर्गत कायम हुआ तथा विवेचना

विवेचक को सुपुर्द हुई। विवेचक द्वारा विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलित किया गया। घटनास्थल का नक्शा नजरी बनाया तथा साक्ष्य संकलित करने के पश्चात आरोपपत्र अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया। अभियुक्तगण को दं०प्र०सं० की धारा २०७ के अन्तर्गत वांछित प्रतियां देते हुए मुकदमा विचारण हेतु सत्र सुपुर्द किया गया जो विचारण हेतु इस न्यायालय को अन्तरण के द्वारा प्राप्त हुआ।

अभियुक्तगण सत्र न्यायालय में उपस्थित आये। न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को भा०द०सं० की धारा ३२३,५०४,५०६ एवं धारा ३(१)१० एस०सी० एस०टी०एक्ट के आरोपों से आरोपित किया गया जिनसे उन्होंने इन्कार किया तथा विचारण की मांग की। तदनुसार अभियुक्तगण का विचारण आरम्भ हुआ।

अभियोजन पक्ष की ओर से अपने केस को सिद्ध करने के लिये कुल दो साक्षीगण के बयान दर्ज कराये गये जिनमें पी०डब्लू०–१ प्रेमबाबू एवं पी०डब्लू०–२ वादी पुत्तूलाल हैं। इनके अलावा अन्य किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया।

अभियुक्तगण के बयान अन्तर्त धारा ३१३ द०प्र०सं० लेखबद्ध किये गये, जिसमें इन दोनों ही अभियुक्तगण ने एक सा बयान देते हुये झूंठा फसाये जाने का कथन किया है तथा अन्य प्रश्नों के उत्तर में '' कुछ नहीं कहना'' कहा है तथा अभियोजन प्रपत्रों की प्रमाणिकता को स्वीकार किया गया है। अभियुक्तगण द्वारा किसी सफाई साक्ष्य देने से भी इन्कार किया है।

मैंने विद्वान वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अध्ययन व अवलोकन किया।

विद्वान वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी द्वारा तर्क दिया गया है कि अभियुक्तगण की ओर से अभियोजन प्रपत्रों को स्वीकार कर लिया गया है। अतः अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोजन पक्ष युक्ति–युक्त सन्देह से आरोप सिद्ध करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्तगण दोष सिद्ध कर दण्डित किये जाने योग्य हैं।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई आरोप सिद्ध नहीं होता है। अतः अभियुक्तगण दोष मुक्त किये जाने योग्य हैं।

दण्डिक विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि सबूत का भार अभियोजन पक्ष पर रहता है तथा इसी विधिक कसौटी के आधार पर केस का निस्तारण किया जायेगा।

पी०डब्लू०–१ प्रेमबाबू ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि दिनांक २६–८'९६ को सुबह के १० बजे हाजिर अदालत मुल्जिमान बबलू उर्फ आनन्द एवं विनोद ने उसके सामने पुत्तूलाल के साथ कोई मारपीट नहीं की थी। ना ही उसके सामने जान से मारने की धमकी दी थी, न गाली गलौज की,ना ही जाति सूचक शब्द कहे।

पी०डब्लू०–२ पुत्तूलाल ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि घटना लगभग १७–१८ साल पहले की है। सुब १० बजे का समय था, वह हैण्ड पम्प से अपनी भैंसों को

पानी पिलाने गया था। वहां पर बबलू व विनोद से कुछ कहा सुनी हो गयी थी, उसके बाद वहां पर काफी लोग इकटठा हो गये थे, उसी भीड़ में उसके किसी ने लोहे का बेलचा मार दिया था जिससे उसे चोटें आयी थीं। डाकटरी मुआयना हुआ था। हाजिर अदालत मुल्जिमान बबलू व विनोद ने उसके साथ मारपीट नहीं की थी, ना ही गाली गलौज व जानसे मारने की धमकी दी थी, ना ही जाति सूचक शब्द कहे थे। उसने रिपोर्ट टाइप कराकर थाने पर दी थी, जिसे साक्षी ने प्रदर्श क–१ के रुप में सिद्ध कियया है।

इस प्रकरण के प्रमुख साक्षी वादी मुकदमा पुत्तूलाल हैं, जिसके साथ घटना का घटित होना बताया जाता है। इस साक्षी ने अभियोजन पक्ष के कथन से बिलकुल उलट बयान देते हुये कहा है किघटना लगभग १७–१८ साल पहले की है। सुब १० बजे का समय था, वह हैण्ड पम्प से अपनी भैंसों को पानी पिलाने गया था। वहां पर बबलू व विनोद से कुछ कहा सुनी हो गयी थी, उसके बाद वहां पर काफी लोग इकटठा हो गये थे, उसी भीड़ में उसके किसी ने लोहे का बेलचा मार दिया था जिससे उसे चोटें आयी थीं। डाकटरी मुआयना हुआ था।साक्षी ने अपने द्वारा दी गयी तहरीर को प्रदर्श क–१ के रुप में सिद्ध भी किया है परन्तु यह कहा है कि हाजिर अदालत मुल्जिमान बबलू व विनोद ने उसके साथ मारपीट नहीं की थी, ना ही गाली गलौज व जानसे मारने की धमकी दी थी, ना ही जाति सूचक शब्द कहे थे। उसने रिपोर्ट टाइप कराकर थाने पर दी थी। इस साक्षी द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन न करने पर इसे पक्षद्रोही साक्षी घोषित कराकर इससे जिरह की गयी परन्तु इसकी जिरह में भी अभियोजन पक्ष ऐसा कोई तथ्य उदघटित नहीं करा सके जो कि अभियोजन कथानक को बल प्रदान करता हो, अपितु इस साक्षी ने कहा है कि पुलिस अधिकारी ने उसका कोई बयान नहीं लिया। यह भी स्वीकार किया कि तहरीर में वहां मौजूद लोगों ने मुल्जिमान के नाम लिखा दिये थे।

पी०डब्लू०–१ विनोद बाबू जिसे घटना का चक्षुदर्शी साक्षी बताया गया था ने भी घटना का समर्थन नहीं किया तथा किसी भी इस प्रकार की घटना को देखने से इन्कार किया है।

हालांकि अभियोजन पक्ष के उन प्रलेखों की प्रमाणकिता को बचाव पक्ष की ओर से औपचारिक रुप से स्वीकार कर लिया गया है जिन पर कि वह अपनी आस्था रखता था परन्तु मात्र अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिक प्रमाणिकता को स्वीकार कर लेने से तब तक अभियोजन पक्ष को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है जब तक कि मौखिक साक्ष्य से अभियोजन कथानक का समर्थन न होता हो।

पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन पक्ष युक्ति–युक्त सन्देह से परे अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित आरोपों को सिद्ध करने में पूरी तरफ विफल रहा है। अतःअभियुक्तगण आरोपित आरोपों से दोष मुक्त किये जाने योग्य हैं।

आदेश

अभियुक्तगण बबलू एवं विनोद कुमार को भा०द०सं० की धारा–३२३,५०४,५०६ भा०द०सं एवं धारा –३(१)१० एस०सी०एस०टी० एक्ट के आरोपों से दोष मुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर हैं, उनके जमानत पत्र एवं निजी बन्ध पत्र निरस्त कर जमानतदारों को जमानत के भार से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण की ओर से द०प्र०सं० की धारा ४३७ए के अनुपालन में पूर्व में ही जमानत प्रस्तुत की जा चुकी हैं।

(राकेश कुमार)
न्यायालय विशेष न्यायाधीश(एस सी एसटी एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०–२,फिरोजाबाद।

दिनांक १०–०१–२०१७

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित,दिनांकित एवं उदघोषित किया गया।

(राकेश कुमार)
न्यायालय विशेष न्यायाधीश(एस सी एसटी एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०–२,फिरोजाबाद।

दिनांक १०–०१–२०१७